



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 79 राँची, गुस्वार,

6 फ़रवरी, 2025 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

5 फ़रवरी, 2025

अधि०सं०-01/परि०आ०(नि०)-80/2024-140-- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं-652(अ), दिनांक-23/09/2021 के द्वारा केन्द्रीय मोटरयान (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना के द्वारा **रजिस्ट्रीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशनों अर्थात् Automated Testing Station (ATS)** की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण, स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों के फिटनेस परीक्षण की प्रक्रिया और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों द्वारा फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया संसूचित है।

2. सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं-663(अ), दिनांक-12/09/2023 के द्वारा केन्द्रीय मोटरयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 अधिसूचित किया गया है जिसके कण्डिका 02 में निम्न उल्लेखित हैं :-
o केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 62 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा :-

“(ख) परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण”	आठ वर्ष तक पुराने वाहनों के लिए 02 वर्ष और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक वर्ष, परंतु यह कि भारी माल वाहन, भारी यात्री मोटर वाहन, मध्यम माल वाहन, मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन प्रवर्ग के वाहन की फिटनेस 01 अक्टूबर 2024 से नियम 175 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही अनिवार्य रूप से की जाएगी, परंतु यह और कि जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अधिकारिता में नियम - 175 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन परिचालित हैं, वहाँ वाहन की फिटनेस केंद्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम , 2023 के प्रारंभ से प्रभावी होने पर केवल ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही की जाएगी ।
--	---

3. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 62 के उप-नियम (1)के खंड (ख) को झारखण्ड राज्य में यथावत लागू किया जाता है ।

राज्यपाल, झारखण्ड के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सचिव
परिवहन विभाग
